

(राजस्थान) राज
 सहायक कलेक्टर
 (राजस्थान) राज

४५

पनावली का अवलोकन किया गया। वृहत्स पर मनन किया गया।
 मनन एवं अवलोकन प्रया गया कि उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया
 नान्ता सुविधा का सन्चालन, अपूर्णतया क्षति के विन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनना
 नही पाये जाते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सादरही होने से खारिज किया
 जाते है। पनावली फूसल कुमार होकर नंबर से कम ही। दाखिल प्रपत्र

पनावली का अवलोकन किया गया। वृहत्स पर मनन किया गया।
 मनन एवं अवलोकन प्रया गया कि उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया
 नान्ता सुविधा का सन्चालन, अपूर्णतया क्षति के विन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनना
 नही पाये जाते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सादरही होने से खारिज किया
 जाते है। पनावली फूसल कुमार होकर नंबर से कम ही। दाखिल प्रपत्र

पनावली आज राजस्थान लोक अदालत न्याय आणकें द्वारा-2017 के
 नुं की मुंज में पेश हुई। वकिलाय पक्षकारान उप.। अप्रार्थी संख्या 1
 वकीलदार बाप का जबाब पेश हुआ जो शामिल निम्नल किया गया।
 नुंना पत्र पर वृहत्स सुनी गई। वकिल प्रार्थीनाप ने वृहत्स के दौरान
 नुं खसरा नंबर 66 रकबा 100 बीघा मुंजि मौजा मजला पटवार हुल्का नुं
 की मुंज की मुंजि कब्जा कायत की मुंजि है। जिसमें वृत्त सेटलमेंट से
 नुं का कब्जा कायत वला आ रहा है। उक्त मुंजि पर रदवासी जगो,
 लका भी बना हुआ है। अतः प्रार्थी को मौके से बेदखल नही किये जाने
 हूँ अप्रार्थीनाप के विकट तादावा फूसला निषेधाज्ञा अस्थाई जारी करमाई
 जावे। वृहत्स का जबाब देते हुए वकीलदार बाप ने कथन किया कि
 वृहत्स मुंजि पर प्रार्थी अतिकर्मी रहा है। तथा समय-समय पर उक्त
 मुंजि से प्रार्थी को बेदखल किया जा रहा है। प्रार्थी का कर्मी भी निन्तर
 कब्जा कायत बादपुस्त मुंजि पर नही रहा है। प्रार्थी सरकारी मुंजि को अवैध
 नुं से हड़पना चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सादरही होने से खारिज

नंबर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुकम की तारीख
 में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस जल